संख्या– 339 /xxiv (7)/2014–15(2)/09

प्रेषक,

मनीषा पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी,नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 07 जनवरी, 2014

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2013–14 में राजकीय महाविद्यालय भिकियासैंण के भवन निर्माण के कार्यो हेतु वित्तीय स्वीकृति ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 10/XXIV(7)/15(2)/2009 दिनांक 30.03.2013 एवं आपके पत्र संख्या डिग्री विकास/13763/2013–14 दिनांक 17.01.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में राजकीय महाविद्यालय भिकियासैंण जनपद अल्मोडा के भवन निर्माण के कार्यो हेतु एस0पी0ए0 के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त धनराषि के दृष्टिगत षासनादेष दिनांक 30.03.2013 द्वारा अनुमोदित धनराशि रू0 494.08 लाख के सापेक्ष अवशेष रू0 394.08 लाख की धनराशि में से रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– स्वीकृत धनराशि को उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई अन्य व्यय नहीं किया जायेगा एवं समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मित्तव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा करने के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त की जायेगा। तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2014 तक पूर्ण उपयोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल आफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

4– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई से पालन करने का कष्ट करे।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– कार्य करने से पूर्व औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

7– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का पालन सुनिश्चित किया जाय।

8– कार्य करने से पूर्व उच्चधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भली भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरुप ही कार्य कराया जाय।

9– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय। कार्य की प्रगति का सघन अनुश्रवण करते हुए कार्यदायी संस्था को धनराशि तभी अवमुक्त की जाएगी, जब उनके द्वारा पूर्व में स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया हो।

..................2/

3

साथ ही कार्यदायी संस्था को कार्य में तेजी लाने हेतु निर्देशित करते हुए प्र0वि0 द्वारा विलम्ब की दशा में या अन्य किन्ही कारणों से आंगणन का पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

10– स्वीकृत धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा। अवमुक्त की गई धनराशि का उपभोग शीघ्रता से करने के लिये प्राचार्य द्वारा समुचित पर्यवेक्षण किया जायेगा एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 571/xxvii(1)/2011 दिनांक 19.10.2010 के आलोक में समयवद्धता के आधार पर स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति आख्या उपलब्ध करायी जाय।

11– तृतीय पक्ष गुणवत्ता (Third party quality) सुपरविजन तथा अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय, परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जानी होंगी। इसका व्यय कार्यदायी संस्था को देय चार्जेज (Centage) से किया जायेगा। किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाय। उक्त रिपोर्ट से शासन को अवगत कराया जाय।

12– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 475/xxvii(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

13– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक की अनुदान सं0 11 के आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखा शीर्षक–4202–शिक्षा खेल कूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–203–विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा–04–राजकीय महाविद्यालयों के भूमि/भवन क्रय–00–24 बृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

14– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 163 (p)/xxvii(3)/2013–14 दिनांक 07 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृ0सं0 339 (1)/xxiv(7)/2014–15(2)09 तददिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2– आयुक्त कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
3– जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
4– कोषाधिकारी हल्द्वानी–नैनीताल।
6– प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय भिक्यिासैंण जनपद अल्मोड़ा।
7– निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
8– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून।
9– वित्त अनु0–3/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
10–परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निर्माण निगम, रानीखेत, अल्मोडा।
11–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
उप सचिव।